



***राष्ट्रीय शिक्षा-नीति 1986- National Policy on Education.**

Subject - Contemporary India & Education

Dr. Amit Kumar

Principal, B.P.S.P. B.Ed. College, Daudnagar

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

National Education Policy (1986)

शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया होने के कारण निरन्तर विकसित व विभिन्नीकृत होती रही है तथा उसका प्रसार क्षेत्र लगातार बढ़ता रहा है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करने व कायम रखने, समकालीन चुनौतियों का सामना करने व राष्ट्रीय जीवन के संवर्धन के लिये अपनी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली विकसित करता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद के भारतीय शिक्षा के इतिहास में 1964 के राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 तथा 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक था। इस पर अमल भी होना शुरू हो गया था तथा कई प्रान्तों ने अपने – अपने ढंग से 10 + 2 + 3 की शिक्षा संस्थान लागू कर दी थी। त्रिभाषा सूत्र, प्रान्तों में कृषि, व्यवसायिक एवं तकनीकी शिक्षा, विज्ञान शिक्षा और वैज्ञानिक शोधों के लिये विशेष प्रावधान किये जाने लगे थे तथा शिक्षा में सुधार हेतु अन्य कार्यभी शुरू कर दिये गये थे।

परन्तु 1977 में केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनने पर 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना के स्थान पर 8 + 4 + 3 शिक्षा संरचना का विचार आया। जिसके परिणाम – स्वरूप कुछ शिक्षाविदों व सांसदों के सहयोग से तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री

प्रताप चन्द्र ने एक नई शिक्षा नीति 1979 की घोषणा कर दी। इसे अभी लागू भी नहीं किया गया था कि 1980 में केन्द्र में पुनः कांग्रेस सत्ता में आ गई व पुनः N.P.E. 1968 के अनुपालन पर जोर दिया।

परन्तु इसी बीच इन्दिरा गाँधी की हत्या के बाद राजीव गाँधी के प्रधानमंत्री बनने पर हर क्षेत्र में आन्दोलनकारी कदम उठाने के प्रयास में शिक्षा के पुनर्निरीक्षण व पुनर्गठन प्रक्रिया में तत्कालीन शिक्षा का सर्वेक्षण कराकर इसे – **शिक्षा के चुनौती नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य (Challenge of Education; A Policy Prospective)** नामक दस्तावेज 1985 (अगस्त) में प्रकाशित कराया गया। जिसमें भारतीय शिक्षा की 1951 से 1985 तक की प्रगति यात्रा का सांख्यिकीय विवरण उसकी उपलब्धियों एवं असफलताओं का यथार्थ चित्रण करते हुए उसके गुण-दोषों का सम्यक विवेचन किया गया है। इस दस्तावेज पर विश्वव्यापी बहस शुरू हुई और सभी प्रान्तों के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों से सुझाव प्राप्त हुये। केन्द्रीय सरकार ने इन सुझावों के आधार पर एक नई शिक्षा नीति तैयार की और इसे संसद के बजट अधिवेशन 1986 में प्रस्तुत किया। संसद में प्रस्तुत करने के बाद इसे मई 1986 में पास कराया गया।

यह भारत की पहली ऐसी पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसमें नीति के साथ उसके कार्यान्वयन की पूरी योजना प्रस्तुत की गई है और साथ ही इसके लिए पर्याप्त संसाधन जुटाये गये हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 का दस्तावेज

(Format of National Education Policy, 1986)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज 11 भागों में विभाजित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्न है :—

(1) शिक्षा का सार व भूमिका (The Essence and Role of Education) -

शिक्षा वास्तव में सभी के लिये है। यह बहुमुखी विकास पर आधारित है। शिक्षा

से अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्तरों के लिये मानवशक्ति विकसित होती है। यह वह आधार है, जिस पर शोध व विकास की उन्नति होती है। यह राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता की अन्तिम गारंटी है। शिक्षा का एक कार्य संस्कृति संक्रमण है। यह उन संवेदनशीलताओं तथा प्रत्यक्षीकरण का परिष्कार करती है, जो राष्ट्रीय समंजन वैज्ञानिक स्वभाव मन व आत्मा की स्वतन्त्रता को संभव बनाते हैं व इस प्रकार संविधान में निहित समाजवाद, धर्म—निरपेक्षता तथा प्रजातन्त्र के लक्ष्यों की प्राप्ति सुगम हो जाती है। इस नवीन शिक्षा नीति में 1968 की प्रथम राष्ट्रीय नीति का अनुसरण किया गया है। इसमें शिक्षा को जीवन से जोड़ने, ग्रामीण क्षेत्र में 90 % लोगों को प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, शिक्षा की 10 + 2 + 3 की समान संरचना, उच्च शिक्षा में की गई प्रगति, लोकतंत्र के मार्ग की बाधाएँ, बेरोजगारी व जनसंख्या की चुनौतियाँ तथा अगले दशक के नये तनावों आदि का वर्णन किया गया है।

(2) राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली (**National Education System**) - शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली का आशय है — किसी निश्चित स्तर तक जाति, पन्थ, स्थान या लिंग के भेदभाव के बिना सभी विद्यार्थियों की एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुँच हो। शिक्षा को सभी के लिये सुलभ बनाने हेतु शिक्षा को राष्ट्रीय लक्ष्य मानते हुये इसे एक ऐसा आर्थिक निवेश कहा गया, जो समाज और व्यक्तियों के वर्तमान तथा भविष्य दोनों का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीय शिक्षा एक समान शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। यह राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पाठ्यक्रम पर आधारित होगी, जिसमें समान मूल (Core) सहित अन्य घटक शामिल होते हैं, जो लचीले होते हैं।

अवसर की समानता को बढ़ावा देना न केवल सफलता के लिये बल्कि सुलभता की शर्तों के लिए भी आवश्यक है। यह जागरूकता मूल (Core) पाठ्यक्रम द्वारा पैदा की जायेगी। सभी को सफलता सम्बन्धी दशाओं के समान अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर न्यूनतम अधिगम स्तर

निर्धारित किये जायेंगे तथा उच्च शिक्षा में सामान्यतः व प्राविधिक शिक्षा में विशिष्टतः अन्तर्क्षेत्रीय गतिशीलता को बढ़ावा दिया जायेगा।

‘जीवनपर्यन्त शिक्षा’ शिक्षा प्रक्रिया का एक पोषक उद्देश्य होगा। अपनी मनपसन्द शिक्षा को उपयुक्त स्थान पर जारी रखने के लिये युवाओं, गृहणियों, कृषि व उद्योगों में कार्यरत कामगारों को अवसर दिये जायेंगे। भविष्य में मुक्त व दूरस्थ शिक्षा पर बल दिया जायेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय चिकित्सा परिषद् को सशक्त किया जायेगा। शिक्षा विषय के समवर्ती सूची में होने के कारण केन्द्र व राज्य सरकारों के उत्तरदायित्वों में एक नई साझेदारी की जरूरत है।

(3) समानता के लिये शिक्षा (**Education for Equality**) - नई शिक्षा नीति में वर्तमान समय में पाई जाने वाली शैक्षिक असमानताओं को दूर करने तथा समान अवसरों से वंचित व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर समान शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। स्त्रियों की स्थिति में आधारभूत परिवर्तन लाने के लिए, स्त्रियों में निरक्षरता को समाप्त करने व प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच व शिक्षा प्राप्ति में बाधाओं को हटाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस भाग में शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित नीतियों को प्रस्तुत किया गया है –

- i. सामाजिक विषमताओं को दूर रखते हुए अब तक के वंचित लोगों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना।
- ii. महिलाओं को सशक्त व सामर्थ्यवान बनाने हेतु उन पर विशेष ध्यान देकर सार्थक शिक्षा प्रदान करना।
- iii. विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक, तकनीकी तथा व्यवसाय से संबंधित शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता पर प्रमुख बल दिया जाना।

- iv. अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए निर्धन परिवारों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहन, विशेष छात्रवृत्तियां, नियमित निरीक्षण, इन जातियों के व्यक्तियों को शिक्षक बनाना, छात्रावास की सुविधाएं तथा ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम व ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम का समुचित उपयोग आदि पर विशेष ध्यान देना।
- v. अनुसूचित जनजातियों के बालकों की शिक्षा के लिए आदिवासी क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलना, आदिवासी संस्कृति व भाषा का संरक्षण, आदिवासियों को शिक्षक बनाना, आश्रम तथा आवासीय विद्यालय स्थापित करना, शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को दूर करना, उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना, विशेष उपचारात्मक पाठ्यक्रम, आंगनबाड़ी व अनौपचारिक शिक्षा केंद्र खोलना तथा आदिवासियों की सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करना आदि कार्यक्रम संपन्न किए जाएंगे।
- vi. अल्पसंख्यकों को उनकी भाषा व संस्कृति की सुरक्षा, अपनी शिक्षा संस्थाओं का संचालन, वस्तुनिष्ठ पाठ्यक्रम का निर्माण तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप एकता स्थापित करने के पर्याप्त अवसर दिए जायेंगे।
- vii. नई शिक्षा नीति में शारीरिक तथा मानसिक रूप से विकलांग को बराबर के साझीदार की तरह, आम जनता के साथ समन्वित करने हेतु उनकी शिक्षा अन्य बच्चों के समान करने, यथासंभव जिला मुख्यालयों में छात्रावासों सहित विशेष विद्यालयों का प्रावधान करने, विकलांगों को व्यवसायिक प्रशिक्षण देने व विकलांग बच्चों

की विशेष कठिनाइयों के समाधान हेतु स्वैच्छिक प्रयत्न करने व शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की पुनः अभिमुखता का प्रावधान रखा गया।

viii. प्रौढ़ तथा सतत् शिक्षा के व्यापक कार्यक्रम को अनेक प्रकार से लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, नियोजकों, मजदूर संघों व सरकारी अभिकरणों द्वारा कामगारों की शिक्षा, पुस्तकों, पुस्तकालयों व वाचनालयों का प्रसार, रेडियो, टी.वी. व फिल्मों का जन व समूह अधिगम माध्यम के रूप में प्रयोग, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम, रुचि व आवश्यकता पर आधारित व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का निर्माण किया जाएगा।

(4) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन (**Reorganisation of Education at different levels**)

a) **पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षण (Early childhood care and Education - ECCE)** – शिक्षा नीति में शिशु के विकास की सर्वतोन्मुखी प्रकृति को मान्यता दी गई है, अर्थात् आहार, स्वास्थ्य तथ सामाजिक, मानसिक, शारिरिक, नैतिक व भावनात्मक विकास पर विशेष ध्यान देते हुये समेकित बाल विकास कार्यक्रम चलाया जायेगा, जिसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को समेकित करते हुये विद्यालयों के स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और सुदृढ़ बनाया जायेगा। साथ ही प्राथमिक शिक्षा को भी बालकेन्द्रित बनाया जायेगा। शिशु की देखभाल व पूर्व प्राथमिक शिक्षा में पूर्ण समन्वय रखा जायेगा। इसे एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम से उपयुक्त रूप से समन्वित किया जायेगा।

b) **प्राथमिक शिक्षा [Primary (Elementary) Education]** – इस शिक्षा नीति में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के सार्वजनिक नामांकन व नियमित

शिक्षा प्राप्ति तथा शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार पर बल दिया जायेगा। इस स्तर पर बालकेन्द्रित व क्रिया आधारित अधिगम प्रक्रिया अपनाई जायेगी। नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा के दो पहलुओं पर बल दिया जायेगा –

i. सार्विक प्रवेश तथा 14 वर्ष की आयु तक बच्चों की सार्विक शिक्षा।

ii. शिक्षा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार।

c) माध्यमिक शिक्षा (**Secondary Education**) – माध्यमिक शिक्षा विद्यार्थियों को विज्ञान, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञानों की विभिन्न भूमिकाओं की जानकारी देना शुरू करती है। इस नीति के सुझावों के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों को तीव्र गति से प्रगति करने देने के लिये अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा व उपयुक्त अवसर सुलभ कराने के लिये देश के विभिन्न भागों में एक निश्चित प्रकार के 'पेस सेटिंग स्कूल' या 'गति निर्धारक विद्यालय' खोले जायेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में माध्यमिक शिक्षा के प्रसार व उन्नयन हेतु आवश्यकतानुसार देश के विभिन्न भागों में **नवोदय विद्यालयों** की भी स्थापना की जायेगी ताकि तीव्र गति से विकास करने वाले या विशेष प्रतिभा वाले बच्चों को अवसर प्रदान किया जा सके।

(5) उच्च शिक्षा (**Higher Education**) - इस शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा के उन्नयन हेतु छात्रों को प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश देने, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन करने, उच्च शिक्षा संस्थानों को साधन उपलब्ध कराने और उनके शिक्षकों के लिये पुनर्बोध कार्यक्रमों की व्यवस्था करने की बात कही गई है। इस सम्बन्ध में नवीन शिक्षा नीति में निम्नलिखित प्रावधान हैं –

- i. एक बड़ी संख्या में स्वायत्तता प्राप्त कॉलेजों का विकास किया जायेगा तथा विश्वविद्यालयों के कुछ चुने हुये विभागों को भी स्वायत्तता दी जायेगी।
- ii. उच्च शिक्षा का परिषदों के माध्यम से राज्य स्तरीय नियोजन व समन्वय किया जायेगा तथा क्षमता के अनुसार प्रवेश को नियमित किया जायेगा।
- iii. शिक्षण विधियों को बदलने के प्रयास किये जायेंगे तथा शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन भी व्यवस्थित ढंग से किया जायेगा।
- iv. विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्यों की व्यवस्था की जायेगी और अनुसन्धान की उच्च गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के लिये सहायता प्रदान की जायेगी व आवश्यक प्रयास किये जायेंगे।
- v. शिक्षा के स्तर पर निगरानी के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा परिषदें कार्य करेंगी।
- vi. सामान्य रूप से उच्च शिक्षा को तथा विशेष रूप से कृषि, चिकित्सा, टेक्नोलॉजी, कानून व शिक्षा पर आधारित अन्य व्यवसायों के क्षेत्रों को अपना लक्ष्य बनाने वाली एक राष्ट्रीय संस्था की स्थापना शिक्षा नीति में एकरूपता व सुसंगति पैदा करने के उद्देश्य से की जायेगी।

(6) तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा (**Technical and Management Education**) -

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तकनीकी व प्रबन्ध शिक्षा हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) एवं राज्यों के तकनीकी शिक्षा बोर्डों को सुदृढ़ करने, कुछ अच्छे तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा संस्थानों को स्वायत्तता प्रदान करने, तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में अन्तर्सम्बन्ध बढ़ाने और इस क्षेत्र में

सतत् शिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गयी है। इसके लिए निम्न कार्य किये जायेंगे –

- i. तकनीकी तथा प्रबन्ध शिक्षा की धारायें अलग-अलग होने पर भी इनके पारस्परिक सम्बन्धों को देखते हुए सदी के अन्त तक प्रस्तावित कल्पना के अनुसार इनका पुनर्गठन करना आवश्यक होगा। यह आवश्यक है कि तकनीकी एवं प्रबन्ध शिक्षा की नीति के अन्तर्गत भविष्य में आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय उत्पादन और प्रबन्ध प्रक्रिया व ज्ञान का द्रुत गति से प्रसार किया जाय और इसे विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के सन्दर्भ में देख जाय।
- ii. मानव शक्ति सम्बन्धी सूचनाओं को विकसित करने के क्रम में हाल ही में स्थापित **टैक्नीकल मैन पावर इन्फार्मेशन सिस्टम** को और अधिक विकसित एवं सक्षम बनाया जाय।
- iii. स्थापित व विकासशील प्रौद्योगिकी के लिए सतत् शिक्षा (Continuing Education) का विकास किया जायेगा।
- iv. सामुदायिक पॉलिटेक्निकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के लोगों को उत्पादक व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- v. शिक्षा में आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के ज्ञान के अन्तर्गत छात्रों को आवश्यक सूचनाओं का ज्ञान, शिक्षक प्रशिक्षण, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि, कला व संस्कृति के प्रति जागरूकता तथा स्थायी मूल्यों के संस्कार आदि का ज्ञान कराया जायेगा।
- vi. कार्य अनुभव को उद्देश्यपूर्ण व सार्थक शारीरिक कार्य मानते हुए इसका प्रयोग छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर दिये जाने वाले

पूर्व व्यावसायिक कार्यक्रम तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के लिए किया जायेगा।

vii. तकनीकी शिक्षा का सम्बन्ध उद्योग, अनुसंधान और विकास संगठनों से, ग्रामीण और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों से तथा पूरक स्वरूप वाले अन्य शिक्षा क्षेत्रों से स्थापित किया जायेगा।

viii. शिक्षकों को इस सन्दर्भ में बहुमुखी भूमिका निभाते हुए शिक्षण, अनुसंधान, शिक्षण सामग्री तैयार करने के साथ संस्था के प्रबन्ध में भी हाथ बंटाना होगा। सभी तकनीकी प्रशिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया जायेगा।

(7) शिक्षा व्यवस्था को कारगर बनाना **(Making the Education System Effective)** - इस शिक्षा नीति में तत्कालीन शैक्षिक वातावरण में उद्देश्यों की गंभीरता के साथ-साथ आधुनिकीकरण एवं सर्जनात्मकता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, शिक्षा के गुण एवं प्रसार के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तनों को सम्मिलित किए जाने की बात कही गई है। अतः इसमें संस्थाओं के प्रशासन तथा शिक्षकों के लिए मानक निर्धारित करने, शिक्षक तथा छात्रों की कार्य प्रणाली में सुधार करने और शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन करने पर बल दिया गया है। इस कार्य हेतु शिक्षकों की जबाबदेही, वांछित व्यवहार-मानकों का छात्रों द्वारा अनुपालन एवं उन्नत छात्रसेवा की व्यवस्था संस्थाओं को अच्छी सुविधा प्रदान करना तथा राष्ट्रीय या स्वःराज्य पर निर्धारित मानक तथा स्तरों के अनुसार संस्थानों की निष्पत्ति के सन्दर्भ में मूल्यांकन व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही गई है।

(8) शैक्षिक विषय वस्तु और प्रक्रिया को नया स्वरूप देना **(To give new prospective to Educational content and process)** - तत्कालीन

परिस्थितियों में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि औपचारिक शिक्षण पद्धति और देश की समृद्धि व विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच की खाई को भरना आवश्यक है, इन सांस्कृतिक परम्पराओं के मध्य विद्यमान अन्तर को समाप्त करने हेतु एक सेतु का निर्माण आवश्यक है। इस प्रकार नई शिक्षा नीति इन दोनों के न्यायोचित संश्लेषण पर बल देने के साथ ही साहित्य और कला आदि के शिक्षण—प्रशिक्षण वाले संस्थानों के संवर्द्धन पर भी बल देगी। बच्चों की सौन्दर्य, संगीत व परिष्कार के प्रति संवेदनशीलता विकसित की जाएगी तथा शिक्षा द्वारा सार्वभौमिक मूल्यों का विकास किया जायेगा। इस प्रकार मूल्यों की शिक्षा, सामाजिक व नैतिक मूल्यों के विकास हेतु एक सशक्त माध्यम बनेगी तथा इससे धार्मिक अन्धविश्वास, कट्टरता, असहिष्णुता, हिंसा और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिलेगी।

कार्यानुभव की शिक्षा को सभी स्तरों पर दी जाने वाली शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना जायेगा व इसे देने हेतु एक श्रेणीकृत व सुसंरचित कार्यक्रम भी बनाया जायेगा। इसके द्वारा प्राप्त किया गया अनुभव आगे चलकर रोजगार पाने में बहुत सहायक होगा। वातावरणीय सचेतनता या जागरूकता उत्पन्न करने के कार्यक्रमों को सम्पूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में समाकलित किया जायेगा।

बच्चों में चिन्तन, तर्क, विश्लेषण व तार्किक संश्लेषण में प्रशिक्षण देने के लिए गणित पढ़ाना चाहिए। विज्ञान शिक्षा को इस प्रकार मजबूत बनाया जायेगा कि बच्चों में पृच्छा, सृजनात्मकता, वस्तुनिष्ठता, जिज्ञासा, सौन्दर्यात्मक संवेदनशीलता, समस्या समाधान व निर्णय लेने से सम्बन्धित कौशल विकसित हो सके व वे दैनिक जीवन में विविध पक्षों से विज्ञान का सम्बन्ध जान सकें।

खेलकूद व शारीरिक शिक्षा को भी अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग मानते हुए निष्पत्ति के मूल्यांकन में इसे भी शामिल किया जायेगा। योग पर

विशेष ध्यान दिया जायेगा व इसे सभी स्कूलों व शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल किया जायेगा।

पुस्तकों के स्तर को सुधारने तथा पठन आदत को बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किया जायेगा। पुस्तकों के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालयों के सुधार का आन्दोलन भी चलाया जायेगा व नये पुस्तकालयों की व्यवस्था की जायेगी। शिक्षा संस्थानों में भी पुस्तकालयों की सुविधायें बढ़ाई जायेंगी एवं पुस्तकालयों की वृद्धि की जायेगी एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के स्तर में वृद्धि की जायेगी।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शिक्षण अधिगम की किसी भी प्रक्रिया के आन्तरिक अंग के रूप में निष्पत्ति को मूल्यांकन का अनिवार्य अंग मानते हुए परीक्षण प्रणाली की पुनर्व्यवस्था की जायेगी, जिसमें मूल्यांकन विधि की विश्वसनीयता व वैधता सुनिश्चित की जायेगी। कार्यात्मक सन्दर्भ में मूल्यांकन का तात्पर्य कंठस्थीकरणको हतोत्साहित करना, संयोग व वैयक्तिकता के अवसरों को दूर करना, सतत् व सघन, मूल्यांकन करना, शिक्षकों, छात्रों एवं अभिभावकों द्वारा मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रभावी उपयोग व परीक्षा संचालन में सुधार करना होगा। इसके साथ ही शैक्षिक सामग्री तथा शिक्षण विधियों में सहगामी परिवर्तन, क्रमिक रूप में माध्यमिक स्तर से ही सेमिस्टर प्रणाली लागू करना व अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग का उपयोग करना आदि उपायों को अपनाकर बाह्य परीक्षा के पूर्व प्रभाव को कम किया जायेगा।

- (9) शिक्षक व शिक्षक शिक्षा **(Teacher and Teacher Education)** - समाज में शिक्षकों का स्थान सर्वोपरि होने के साथ-साथ शैक्षिक व्यवस्था की सफलता शिक्षकों के बौद्धिक, शैक्षिक तथा उनके मानवीय गुणों पर आधारित होती है। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत शिक्षकों की सेवा शर्तों और

कार्यकारी परिस्थितियों में व्यापक सुधार किया जायेगा। शिक्षकों के चयन के तरीकों को भी इस प्रकार पुनर्गठित किया जायेगा कि योग्यता व वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित हो सके व प्रक्रिया क्षेत्रीय व कार्यपरक अपेक्षाओं के अनुरूप हो। प्रतिभावान छात्रों को विशेष तौर पर शिक्षा व्यवसाय की ओर आकर्षित करने के लिए जोड़ा जायेगा। समान वेतन तथा भत्ते, सेवा की दशाएँ एवं देश भर में उनकी कठिनाइयों को दूर करने की प्रणाली के गठन करने के प्रयास किए जायेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण हेतु भी मार्गदर्शिका तैयार की जायेगी तथा उच्च ग्रेड हेतु मुक्त, सहयोगी एवं आँकड़ों पर आधारित शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी, जिसमें शिक्षक के उत्तरदायित्वों का मूल्यांकन, अच्छी व बुरी निष्पत्ति को दृष्टिगत रखते हुए मानकों के आधार पर होगा।

शिक्षा एक सतत् प्रक्रिया है अतः इसमें पूर्व व सेवाकालीन पक्षों को अलग नहीं किया जा सकता अतः पहले चरण में शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया जायेगा।

शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है अतः नई शिक्षा नीति में शिक्षक शिक्षा की प्रणाली में आमूल परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता को देखते हुए जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T. District Institute of Education and Training) स्थापित किए जायेंगे, जो प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों व निरौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए सेवापूर्ण व सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इनकी स्थापना होते ही स्तरहीन संस्थाओं को समाप्त कर दिया जायेगा व चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की उन्नति SCERT (State Council of Education Research and Training) के रूप में की जायेगी। NCERT के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सक्षम बनाने, पाठ्यक्रम तथा विधियों के निर्माण हेतु मार्गदर्शन के लिए वांछित संसाधन प्रदान किए जायेंगे। ये

संस्थाएँ व विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग आपस में मिलकर काम करेंगे। कुछ चयनित माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को भी उच्चकृत करके उन्हें SCERT के कार्य के पूरक के रूप में कार्य दिया जायेगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) को अध्यापक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता देने का अधिकार दिया जायेगा तथा उसे आवश्यक साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा संस्थानों व विश्वविद्यालय शिक्षा विभागों की सुसम्बद्ध संगठित श्रृंखला विकसित की जाएगी।

(10) शिक्षा का प्रबन्धन (**Management of Education**) -

a) शिक्षा के प्रबन्धन हेतु शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध प्रणाली में परिवर्तन को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कुछ सिद्धान्तों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा –

- i. शैक्षिक आयोजन व प्रबन्ध का दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य (**Long Term Profile**) तैयार करना और उसे देश की विकासात्मक और मानवशक्ति सम्बन्धित आवश्यकताओं से जोड़ना।
- ii. विकेन्द्रिकरण तथा शिक्षा संस्थाओं में स्वायत्तता की भावना उत्पन्न करना।
- iii. शिक्षा में लोक भागीदारी, गैर सरकारी साधनों का प्रयोग तथा स्वैच्छिक प्रयासों को महत्व देना।
- iv. शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध में स्त्रियों के भाग लेने को प्रोत्साहित करना।
- v. अराजकीय अभिकरणों की परिषदों व ऐच्छिक प्रयासों की सहभागिता पर बल देना।

vi. प्रदत्त उद्देश्यों तथा मानदण्डों के सम्बन्ध में जबावदेही के सिद्धान्त की स्थापना करना, जैसे निर्देशक विचारों पर ध्यान देना।

- b) राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध की दिशा में 'सेन्ट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन' शैक्षिक विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करेगा तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु वांछित परिवर्तन किये जायेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय के विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय हेतु वांछित समितियाँ तथा अन्य अभिक्रमों को क्रियाशील बनाया जायेगा जिसमें शिक्षा विभाग केन्द्र तथा राज्य स्तर पर व्यावसायिकों के सहयोग से सशक्त बनेगा। इस प्रकार यह संस्था शैक्षिक विकास का पुनरावलोकन करने तथा तन्त्र को सुधारने हेतु इसके कार्यान्वयन पर नियन्त्रण रखेगी तथा अखिल भारतीय स्तर की 'भारतीय शिक्षा सेवा' (IES) शुरू की जायेगी।
- c) शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों व संस्थाओं के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जायेगा।
- d) राज्य स्तर पर शैक्षिक नियोजन व प्रबन्ध हेतु राज्य सरकार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की जायेगी, जो राज्यों के विभिन्न विभागों का मानव संसाधन विकास के लिए प्रभावशाली सहयोग करेगी।
- e) जिला व स्थानीय स्तर पर भी, उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबन्ध करने के लिए जिला शिक्षा बोर्ड का गठन किया जायेगा। शिक्षा विकास की बहुस्तरीय संरचना के भीतर केन्द्रीय, राज्य, जिला व स्थानीय स्तर पर नियोजन, समन्वय, प्रबन्धन एवं मूल्यांकन में भाग लिया जायेगा।

- f) शिक्षा को व्यापार बनाने के उद्देश्य से गठित संस्थाओं की स्थापना पर रोक लगाने के भी प्रयास किए जाएंगे तथा सही प्रबन्ध वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता दी जायेगी।
- g) शिक्षा संस्था के अध्यक्ष को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करना होगा। उन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा तथा विद्यालय परिसरों को नमनीय आधार पर विकसित किया जायेगा। इससे शिक्षकों में सहक्रियात्मक आधार पर वृत्तिक विकास होगा, अनुभव व सुविधाओं में भागीदारी के द्वारा मानकों तथा आचरण की प्रतिबद्धता हो सकेगी।
- h) इन संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय सुदायों को विद्यालय विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जायेगी।

(11) संसाधन तथा समीक्षा (**Resources and Evaluation**) -

- i. व्यवहारिक रूप से सभी शिक्षाविदों ने यह स्वीकार किया है कि शिक्षा पर किया जाने वाला व्यय आर्थिक निवेश होता है तथा इसके द्वारा ही भारत में समतावादी उद्देश्यों व विकास केन्द्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अभी तक शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का अधिक प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करके ही भारत में समतावादी उद्देश्यों, विकास केन्द्रित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और यह कार्य के आयात तथा अभ्यासों के क्रम में होगा।
- ii. शिक्षा के लिए पूँजी एकत्रित करने हेतु चंदा लेना भवनों की देखभाल और दैनिक कार्यों के लिए स्थानीय व्यक्तियों की सहायता लेना, शुल्क वृद्धि तथा मौजूदा संसाधनों का समुचित उपयोग आदि लगभग सभी संभव उपाय किये जायेंगे।

- iii. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की शिक्षा से सम्बन्धित संस्थाओं का प्रसार व उन्हें तीव्र गति से आधुनिक स्वरूप देना भी आवश्यक होगा।
- iv. अनुसंधान व विकास से लगे संस्थानों को, सुविधाओं का प्रयोग करने वाले अभिकरणों, सरकारी विभागों तथा उद्यमियों पर शिक्षा अधिभार लगाना होगा। इन सभी उपायों से राज्य पर भार भी कम होगा तथा सरकार को प्राथमिक शिक्षा कर सार्वभौमीकरण, निरक्षरता उन्मूलन, पूरे देश की सभी वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों की समानता, सामाजिक, प्रासंगिकता की अभिवृद्धि, शैक्षिक कार्यक्रमों की गुणात्मक व कार्यात्मक प्रभावशीलता के लिए धन भी प्राप्त होगा।
- v. शिक्षा में विनिवेश या अपर्याप्त निवेश के गम्भीर परिणामों से बचने के लिए व विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् स्थापित विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रियाशील संस्थाओं को निरर्थकता से बचाने हेतु इन कोर्सों को अद्यतन व आवश्यकताओं की मांग पर आधारित बनाना होगा। अन्यथा इन क्षेत्रों पर किया गया निवेश भारतीय अर्थव्यवस्था को हानि भी पहुँचा सकता है।
- vi. 1968 की शिक्षा नीति में शिक्षा के निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाने की बात कही गयी है जिसमें यथासंभव राष्ट्रीय आय का 6% तक शिक्षा पर व्यय किया जा सके। चूँकि निवेश का वास्तविक स्तर उस लक्ष्य से कहीं कम है अतः नीति में निर्धारित कार्यक्रमों के लिए वांछित धन प्रदान करने का निर्णय लिया जाय। साथ ही अनुवीक्षण (Monitoring) व पुनरावलोकन के आधार पर

समय—समय पर आवश्यकता की माँग के अनुसार धन की व्यवस्था की जाय।

❖ नई शिक्षा नीति (1986) हेतु कार्य योजना (Plan of Programme of Action for New Education Policy)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के द्वारा पास होने के बाद नवम्बर 1986 में इस शिक्षा योजना को लागु करने के लिए कार्य योजना बनाई गई। इसके तहत 23 कार्य दलों का गठन किया गया जिसमें ख्याति प्राप्त शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ तथा वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे। इन्होंने शिक्षा नीति के प्रमुख प्रावधानों को क्रियान्वित किये जाने की विधि पर विचार करके अपनी संस्तुति जुलाई 1986 में प्रस्तुत की। जिसे अंतिम प्रारूप में भारतीय संसद द्वारा अगस्त 1986 में स्वीकृत किया गया, जिसे बाद में सभी राज्यों में लागु कर दिया गया।

❖ नई शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु कार्य योजना (Plan of Action for Elementary Education in N.E.P.)

■ इस शिक्षा नीति में प्रारम्भिक शिक्षा हेतु निम्न सुझाव दिये गये —

- 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के लिए पुरे देश में समान प्रवेश प्रणाली तथा समान अवधि की शिक्षा होनी चाहिए।
- प्राथमिक शिक्षा में सुधार वांछित दिशा में तथा मूर्त रूप में होने चाहिए।
- बालकों के संज्ञानात्मक अधिगम में वृद्धि होनी चाहिए।
- विद्यालयों में शारीरिक दण्ड की प्रथा को बिल्कुल समाप्त कर देना चाहिए।
- छात्रों को व्यवसायिक ज्ञान उनकी सुविधानुसार दिया जाना चाहिए।

- ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से छात्रों को खेल के समान, नक्शें, चार्ट, चॉक, श्यामपट्ट तथा डस्टर आदि प्रदान किये जाने चाहिए।
- अपव्यय तथा अवरोधन को रोकने के लिये बड़े पैमाने पर निरौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।

❖ **नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा हेतु कार्य योजना (Plan of Action for Secondary Education in N.E.P. 1986)**

- नई शिक्षा नीति में माध्यमिक शिक्षा के महत्व को भली प्रकार समझा गया था। अतः इसमें इस स्तर की शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नांकित सुझाव दिये गये थे –
- आर्थिक स्थिति कमजोर होने पर भी प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक प्रगति में तेजी लाने का प्रयास करना।
- इस नीति में माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा का एक ऐसा व्यवस्थित व सुनियोजित कार्यक्रम बनाने की संस्तुति की गई है, जो छात्रों को उनके शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करे।
- व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं के निर्माण का उत्तरदायित्व सरकार तथा निजी सेवायोजकों पर सहभागिता के आधार पर सौंपा गया है।
- माध्यमिक स्तर पर कक्षा 10 के लिए एक सामान्य आधारभूत पाठ्यक्रम बनाया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में तथा महिलाओं के लिए सरकारी एवं व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक शिक्षा बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाये जाने चाहिए।
- माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा हो कि छात्र विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का पूर्ण विकास कर सकें।

❖ उच्च शिक्षा हेतु कार्य योजना (Plan of Action for Higher Education)

उच्च शिक्षा की समस्याओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के बाद, नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित संस्तुतियाँ दी गई हैं –

- भारत में स्थित 150 विश्वविद्यालय व 5000 महाविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर इनके स्तर में सुधार किया जाय।
- शिक्षा में आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के नवाचारों को लागू करना व अधिक सुविधायें प्रदान करना।
- सम्बद्ध कॉलेजों के स्थान पर कुछ प्रमुख स्वायत्त कॉलेज खोले जायें।
- भाषागत योग्यता के आधार पर पर्याप्त ध्यान देना व पाठ्यक्रमों में लचीलापन होना।
- उच्च शिक्षा के स्तर पर व उसकी गुणवत्ता पर यू. जी. सी. द्वारा निरन्तर निगरानी रखना।
- शिक्षक शिक्षा की दृष्टि से ओरिएन्टेशन प्रोग्राम तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ऐकेडेमिक स्टाफ कॉलेजों की स्थापना करना।

नई शिक्षा नीति – 1986 द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण कदम

(Some Important Steps Taken By

New National Education Policy - 1986)

नई शिक्षा नीति – 1986 का गठन शिक्षा की चुनौतियों के रूप में किया गया था। अतः इसका भारत की शिक्षा व्यवस्था पर पर्याप्त स्थायी एवं व्यापक प्रभाव पड़ा है,

जिसका कारण संभवतः उसके द्वारा उठाये गये कुछ महत्वपूर्ण शैक्षिक कदम हैं। शिक्षा में योगदान देने वाले ये महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं –

1. 10+2+3 शिक्षा संरचना (10+2+3 Structure of Education)
2. नवोदय विद्यालय (Navodaya Vidyalaya)
3. विद्यालय संकुल (Group of Schools)
4. सर्व शिक्षा अभियान (Education for all Movement)
5. शैक्षिक अवसरों की समानता (Equalization of Educational Opportunities)
6. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Black Board)
7. दूरस्थ शिक्षा एवं मुक्त विश्वविद्यालय (Distance Education and Open Universities)
8. उपाधि को सेवा से अलग करना (To Remove Degree from Service)
9. शिक्षक प्रशिक्षण (Teacher Training)
10. शिक्षक की जवाबदेही (Accountability of Teacher)